न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 36 / 2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री गुरमुखदास सिंधी, मावा व कलाकन्द विक्रेता निवासी किशनगढ रोड, विजय डेयरी के पास, हेमू कॉलोनी चौक, खैरथल, जिला अलवर। हाल मैसर्सः–काका स्वीट्स, पीलू वाले बालाजी के पास, घास मण्डी, दौसा।

– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त बाद तामील अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः– 11.09.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.08.2016 को प्रातकाल 11:00 बजे विक्रेता हाल मैसर्सः– काका स्वीट्स, पीलू वाले बालाजी के पास, घास मण्डी, दौसा स्थित का निरीक्षण करने पर पाया कि एक कार्टून में लूज पैकिंग में 12 पैकिट जिनका प्रत्येक का वजन 2.4 किग्रा था, उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द (मावा मिठाई) का विक्रय श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री गुरमुखदास सिंधी विक्रेता द्वारा आम जनता को विक्रय किया जा रहा था। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री गुरमुखदास सिंधी को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नही होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय आम जनता को विक्रय किये जा रहे करीबन 12 पैकिट कलाकन्द (मावा मिठाई) में मिलावट का शक होने पर एक पैकिट में से 2 किग्रा कलाकन्द (मावा मिठाई) खरीदा। जिसे विक्रेता ने एक साफ सूखी एवं खाली स्टील की ट्रे में तोलकर दिया। जिसकी कीमत 320 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

खरीदशुदा कलाकन्द (मावा मिठाई) को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर–बराबर डालकर एयरटाइट ढक्कन से बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व विक्रेता (एफ.बी.ओ.) के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलो पर चिपकाकर बोतलो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1460 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार–चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडों में चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफबीओ (विक्रेता) श्री प्रदीप कुमार सिंधी पुत्र श्री गुरमुखदास सिंधी के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 19.08.2016 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 19.08.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 22.08.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द (मावा मिठाई) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 2455 / एक्ट / 2016 / 248 दिनांक 16.09.2016 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द (मावा मिठाई) का नमूना अनसेफ होना पाया गया है। वाद अपील निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला पुणे की जांच रिपोर्ट सं. सर्टिफिकेट नं.–डीओ / 70 / 17 / 252 / 2017 दिनांक 27.02.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द (मावा मिठाई) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त बावजूद तामील बहस के दौरान अनुपस्थित रहा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट एल.एस. / 2455 / एक्ट / 2016 / 248 दिनांक 16.09.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द (मावा मिठाई) के नमूने में जांच के दौरान बी. आर. रीडिंग 60.9 पायी गई है। जो कि सामान्यतया 40.0 से 44.0 (For milk fat) होनी चाहिए। जिसके कारण उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द (मावा मिठाई) का नमूना अनसेफ पाया गया है। साथ ही वाद अपील निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला पुणे की जांच रिपोर्ट सं. सर्टिफिकेट नं.–डीओ / 70 / 17 / 252 / 2017 दिनांक 27.02.2017 के अनुसार भी उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द (मावा मिठाई) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय कर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा एफएसएस 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 2455 / एक्ट / 2016 / 248 दिनांक 16.09.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(मावा मिठाई) के नमूने की जांच के दौरान बी. आर. रीडिंग अधिक पायी जाने के कारण अनसेफ पाया गया है। वाद अपील निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला पुणे की जांच रिपोर्ट सं. सर्टिफिकेट नं. –डीओ/70/17/252/2017 दिनांक 27.02.2017 के अनुसार भी उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द (मावा मिठाई) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ कलाकन्द (मावा मिठाई) अनसेफ एवं सबस्टैण्डर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री गुरमुखदास सिंधी, मावा व कलाकन्द विक्रेता निवासी किशनगढ रोड, विजय डेयरी के पास, हेमू कॉलोनी चौक, खैरथल, जिला अलवर हाल मैसर्सः–काका स्वीट्स, पीलू वाले बालाजी के पास, घास मण्डी, दौसा पर 1,50,000/–(अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 11.09.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ 1904-1906
दिनांकः– 13 .09.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री गुरमुखदास सिंधी, मावा व कलाकन्द विक्रेता निवासी किशनगढ रोड, विजय डेयरी के पास, हेमू कॉलोनी चौक, खैरथल, जिला अलवर
हाल मैसर्सः–काका स्वीट्स, पीलू वाले बालाजी के पास, घास मण्डी, दौसा।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official